39

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84] नई दिल्ली, शनिवार, मई 23, 2009/ज्येष्ठ 2, 1931
No. 84] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23, 2009/JYAISTHA 2, 1931

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2009

सं. फा. 48-3(1)/2008/राअशिप (मानक और मानदंड).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए मानकों और मानदंडों सहित मान्यता प्रदान किए जाने की क्रियाविधि निर्धारित करने वाले विनियम, 10 दिसम्बर, 2007 को अधिसूचित दिनांक 27 नवम्बर, 2007 के राअशिप (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के रूप में प्रख्यापित किए गए थे। इन विनियमों के खंड 5(5) में निर्धारित तारीख से संबंधित मामले पर और आगे पुनर्विचार किया गया और चालू शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2009-10 से अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता/अनुमति प्रदान किए जाने के लिए निर्धारित तारीख को संशोधित करने का निर्णय लिया गया।

तद्नुसार उपर्युक्त विनियमों का संशोधन करते हुए और राअशिप अधिनियम, 1993 के खंड 32(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राअशिप विनियमों में एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाती है:

1. लघु शीर्ष और प्रवर्तन

(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009 कहा जाएगा।

962

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं

इन विनिमयों में, जब तक कि संदर्भ की दृष्टि से अन्यथा अपेक्षित न हो उनमें प्रयुक्त तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जोकि उपर्युक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है ।

3. प्रयोज्यता

ये विनियम संस्थानों की मान्यता के लिए मानदंडों, मानकों और क्रियाविधियों, नए कार्यक्रम शुरू करने तथा मौजूदा कार्यक्रमों में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि तथा उनसे संबंधित अन्य मामलों को समाविष्ट करने वाले अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों से जुड़े सभी विषयों पर लागू होंगे । ये संशोधित विनियम केवल चालू शैक्षिणित सत्र अर्थात् 2009-2010 के लिए अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने के वास्ते मान्यता/अनुमति प्रदान किए जाने के लिए लागू होंगे और बाद के किसी वर्ष के लिए लागू नहीं होंगे । अगले शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2010-2011 के बाद से विनियमों के खंड 5(5) में उल्लिखित निर्धारित तारीख का कड़ाई से पालन किया जाएगा ।

4. संशोधन की सीमा

राअशिप (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 की धारा 5(5) केवल चालू शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2009-2010 के लिए विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के वास्ते मान्यता/अनुमति प्रदान किए जाने के लिए नीचे बताए अनुसार संशोधित की गई है :

चालू शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2009-2010 के लिए क्षेत्रीय समितियों के पास बकाया पड़े सभी पूर्ण आवेदन-पत्रों पर संगत विनियमों के प्रावधानों के अनुसार और कालक्रमानुसार क्रम को बनाए रखते हुई कार्रवाई की जाएगी तथा मान्यता प्रदान किए जाने अथवा इंकार किए जाने से संबंधित अंतिम निर्णय 31 जुलाई, 2009 तक सूचित कर दिया जाएगा ।

हसीब अहमद, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./131/09]

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2009

F.No. 48-3(1)2008/NCTE (N&S).—Regulations laying down the procedure for grant of recognition along with Norms and Standards for various teacher training courses were promulgated by the National Council for Teacher Education *vide* NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2007, dated 27th November, 2007 notified on 10th December, 2007. The matter regarding cut off date prescribed in the clause 5(5) of these Regulations has further been reconsidered and it was decided to amend the cut off date for grant of recognition/permission to teacher education institutions for the current academic session i.e. 2009-2010.

Accordingly, in modification of the above Regulations and in exercise of the powers conferred under Section 32(2) of the NCTE Act, 1993, the NCTE hereby makes the following Regulations :

1. Short title and commencement

(1) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) (Second Amendment) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force w.e.f. the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires, all the words and expressions used herein and defined in the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) shall have the same meaning respectively assigned to them in the said Act.

3. Applicability

These regulations shall be applicable to all matters relating to teacher education programmes covering norms, standards and procedures for recognition of institutions, commencement of new programmes and addition to sanctioned intake in existing programmes and other matters incidental thereto. These amended regulations shall be applicable only for grant of recognition/permission to start teacher-training course for the current academic session i.e. 2009-2010 and not for any subsequent year. From the next academic session i.e. 2010-2011, the cut off date mentioned in clause 5(5) of the Regulations shall strictly be enforced.

IndiaCode